तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/4076/2004/पाली** **मूर्ति मंदिर अन्नपूर्णा हनुमान बनाम सोनी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
		स

एकलपीठ

डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थित

श्री सुनील पारीक, अभिभाषक प्रार्थी।

श्री के.के. पुरोहित एवं श्री मूलचन्द शर्मा, अभिभाषकगण अप्रार्थीगण।

निर्णय

दिनांक 30–12–2024

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत जिला कलेक्टर, पाली द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–8–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थिया द्वारा दिनांक 11–2–2003 को तहसीलदार, देसूरी के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम देसूरी के खसरा नंबर 1020 रकबा 0.9 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 1007/3210 रकबा 1.26 हेक्टेयर अप्रार्थिया के पति रामाजी के नाम थी। इनकी मृत्यु के पश्चात् अप्रार्थिया उक्त भूमि की एकमात्र मालिक है, जिस पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 3 से 5 तक अनाधिकृत रूप से कब्जा कर अतिक्रमण किया है। अप्रार्थिया द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर कब्जा दिलाये जाने का निवेदन किया गया। तहसीलदार, देसूरी द्वारा अपने आदेश दिनांक 13–5–2003 द्वारा वादग्रस्त भूमि से प्रार्थी को बेदखल कर जुर्माना एवं कब्जा अप्रार्थी को दिलाये जाने का आदेश प्रदान किया गया। तहसीलदार, देसूरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–5–2003 से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। जिला कलेक्टर, पाली द्वारा अपने आदेश दिनांक 31–8–2004 द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज कर तहसीलदार, देसूरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–5–2003 को यथावत रखा गया। जिला कलेक्टर, पाली द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–8–2003 से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4– प्रार्थी के विद्वान अभिभाषकगण ने बहस में कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत है। उनका कथन है कि प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना–पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 बी के तहत् प्रस्तुत किया गया था। अप्रार्थिया को उक्त प्रार्थना–पत्र में वर्णित आधारों को साबित कराया जाना आवश्यक था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थिया द्वारा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/4076/2004/पाली** **मूर्ति मंदिर अन्नपूर्णा हनुमान बनाम सोनी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य पेश कर प्रकरण को साबित नहीं कराया गया। धारा 183 बी के अनुसार अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति की भूमि पर अतिक्रमण करने पर बेदखली की जायेगी। इसके लिए राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज होना ही नहीं, बल्कि वास्तविक, भौतिक कब्जा भी मौके पर होना आवश्यक है। अप्रार्थिया मु0 सोनी या उसके पति रामाजी का वादग्रस्त भूमि पर कभी वास्तविक भौतिक कब्जा नहीं रहा है। रामाजी को आवंटन कागजी तौर पर हुआ है। वास्तविक रूप से भौतिक कब्जा मूर्ति मंदिर अन्नपूर्णा हनुमान जी का पहले से ही रहा है तथा स्वयं रामाजी द्वारा वर्ष 1989 में मंदिर के पक्ष में कब्जा सौंप दिया था। इस कारण उक्त भूमि अप्रार्थिया द्वारा धारित भूमि नहीं मानी जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर जिला कलेक्टर, पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31–8–2004 एवं तहसीलदार, देसूरी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13–5–2003 निरस्त किये जावे। उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में डी. एन.जे. 1998 पृष्ठ 767, आर.आर.टी. 2004 (1) पृष्ठ 19, आर.आर.टी. 2001(1) पृष्ठ 346, आर.आर.डी. 1998 पृष्ठ 349, आर.आर.डी. 1991 पृष्ठ 164, ए.आई.आर. 2002, पृष्ठ 204, आर.आर.टी. 2016 पृष्ठ 235, आर.आर. टी. 2006 (1) पृष्ठ 383, आर.आर.डी. 2007 पृष्ठ 10, आर.आर.डी. 2002 पृष्ठ 623, आर.आर.टी. 2008 (1) पृष्ठ 28 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए। 5– अप्रार्थिया के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के अनुरूप है। उनका यह भी कथन है कि प्रार्थी विवादित भूमि पर पिछले 25 वर्षों से अधिक समय से कब्जा होना बताया है व दूसरी तरफ भूमि को मृतक खातेदार रामा द्वारा वर्ष 1989 में दान देकर हस्तांतरण करने का कथन करते हैं। यदि कब्जा 25 वर्ष पुराना था, तो मृतक रामा के पक्ष में भूमि का नियमन कर खातेदारी दी गई, जिसका पासबुक में इन्द्राज है तो उसके विरूद्ध मंदिर की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस कारण विचारण न्यायालय के समक्ष मंदिर का कब्जा 25 वर्ष से अधिक पुराना होने का कथन संदेहजनक है। प्रार्थिया ने कभी भी मूर्ति मंदिर को पक्षकार भी नहीं बनाया था। धारा 42–ख राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के विरूद्ध वर्ष 1989 में किया गया हस्तांतरण किसी भी सूरत में मान्य नहीं किया जा सकता था। धारा 183 बी की संक्षिप्त जांच से यह तथ्य स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी भूमि को अवैध रूप से कब्जा करने पर एवं अप्रार्थी द्वारा विरोध करने पर यह वादकरण उत्पन्न हुआ है। इसलिए बारह वर्ष से अधिक समय पहले का कब्जा प्रमाणित नहीं हुआ है। जहां तक धारा 183 बी में बाहर वर्ष की अवधि का प्रावधान है, वह वादकरण पैदा होने की दिनांक से गणना	

करने योग्य है। इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है। अतः प्रस्तुत निगरानी खारिज की जावे।

6— हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

7— पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी सोनी द्वारा दिनांक 11—2—2003 को तहसीलदार, देसूरी के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 बी के तहत् एक प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम देसूरी के खसरा नंबर 1020 रकबा 0.9 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 1007/3210 रकबा 1.26 हेक्टेयर अप्रार्थिया के पति रामाजी के नाम थी। इनकी मृत्यु के पश्चात् अप्रार्थिया उक्त भूमि की एकमात्र मालिक है, जिस पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 3 से 5 तक अनाधिकृत रूप से आज से 10—11 दिन पूर्व कब्जा कर अतिक्रमण किया है। अप्रार्थिया द्वारा प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर कब्जा दिलाये जाने का निवेदन किया गया। तहसीलदार, देसूरी द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना—पत्र का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि मंदिर का कब्जा अनेक वर्षों से हैं एवं अप्रार्थी के पति के नाम से गलत आवंटन हुआ था। अतः प्रार्थना—पत्र खारिज किया जावे। तहसीलदार, देसूरी द्वारा बाद जांच एवं सुनवाई अपने आदेश दिनांक 13—5—2003 द्वारा वादग्रस्त भूमि से प्रार्थी को बेदखल कर कब्जा अप्रार्थी को दिलाये जाने का आदेश प्रदान किया गया। तहसीलदार, देसूरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 13—5—2003 के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। जिला कलेक्टर, पाली द्वारा तहसीलदार, देसूरी द्वारा की गई कार्यवाही को विधिसम्मत मानते हुए अपने आदेश दिनांक 31—8—2004 द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज कर तहसीलदार, देसूरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 13—5—2003 को यथावत रखा गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 (ख) में अनुसूचित जाति व जनजाति के खातेदारों की भूमि पर अन्य वर्ग के व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से किये गये कब्जे से बेदखल कर उन्हें उनकी स्वामित्व की आराजी पर पुनः काबिज कराने के लिए प्रावधान है। हस्तगत प्रकरण में कोई विक्रय—पत्र निष्पादित होना नहीं पाया जाता है। प्रार्थिया ने न तो मूर्ति मंदिर को कोई पक्षकार ही संयोजित किया गया है, न ही अधीनस्थ न्यायालय और न ही इस न्यायालय में कोई प्रार्थना—पत्र या शपथ—पत्र प्रस्तुत किया है कि इस आराजी से मूर्ति मंदिर किस प्रकार से प्रभावित पक्षकार है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थिया, जो कि अनुसूचित जाति की विधवा महिला है, की भूमि को हड़पने का कुप्रयास है, जो विधिक प्रावधानों के विपरीत है। अधिनियम की धारा 42 (ख) के अनुसार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/4076/2004/पाली** **मूर्ति मंदिर अन्नपूर्णा हनुमान बनाम सोनी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अनुसूचित जाति व जनजाति की भूमि अन्य वर्ग के व्यक्तियों के पक्ष में बेचान, दान व वसीयत किया जाना विधिविरूद्ध है। अधिनियम के उक्त प्रावधानों के आलोक में ऐसे प्रकरणों का संक्षिप्त कार्यवाही के माध्यम से निस्तारण किया जाकर अनुसूचित जाति/जनजाति को शीघ्र अनुतोष दिलाया जाना है। हस्तगत प्रकरण में अभिलिखत खातेदारों को अनावश्यक रूप से न्यायिक कार्यवाहियों में उलझा कर उन्हें अपने विधिक अधिकारों से वंचित किया गया है। जहां तक मियाद का प्रश्न है, प्रार्थिया ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 11–2–2003 में यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि अप्रार्थीगण ने लगभग 8–10 दिन पूर्व आराजी पर कब्जा कर चबूतरे का निर्माण कर रहे हैं। इस तथ्य से स्पष्ट है कि प्रार्थिया का प्रार्थना–पत्र अवधि बाधित नहीं है। जैसा कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 6183/2015 हीरा बनाम मांगीलाल वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 7–2–2018 में प्रतिपादित किया है–

"The respondents filed a suit under Section 183-B of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (for short "the Act of 1955"). The suit was decreed against the petitioner for the reason that he purchased the land from a person having unregistered sale deed. The petitioner could have claimed his right in absence of the registered sale deed in favour of the seller also and, otherwise, the land belongs to the Scheduled Caste thus it is not transferable in view of Section 42 & 46 of the Act of 1955. The transaction was otherwise void thus issue of limitation in maintaining the suit has (2 of 2) [CW-6183/2015] been dealt with accordingly.

It has been held that limitation for filing of the suit under Section 183-B of the Act of 1955 is of 12 years. The suit was filed immediately when the fact pertaining to sale of land came in the knowledge of the plaintiff-respondents.

In view of the aforesaid and taking into consideration that there exist concurrent finding of fact by three courts, no case is made out to cause interference therein. The writ petition is, accordingly, dismissed."

इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने डी.बी. स्पेशल अपील (रिट) संख्या 642/2004 उगमसिंह व अन्य बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दिनांक 7–5–2014 में निम्न अभिमत अंकित किया है–

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/4076/2004/पाली** **मूर्ति मंदिर अन्नपूर्णा हनुमान बनाम सोनी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	"Upon hearing the learned counsel for the parties and on a consideration of the materials on record, we are of the view that the concurrent findings of facts as recorded by the learned District Collector, learned Board of Revenue and the learned Single Judge, which are borne out by the records, do not merit any interference in the instant appeal. Section 183-B of the Act on the face of it provides protection to a tenant belonging to the scheduled caste or scheduled tribe from a trespasser on his land by summary ejectment on an application of the person entitled to evict such trespasser or a public servant authorized by the State Government in that regard. Section 183-B mandates that the enquiry contemplated is to be of a summary nature, of course, after affording a reasonable opportunity of being heard to the person alleged to be the trespasser. The analysis of the pleaded facts and the documents on record as undertaken by the learned District Collector, learned Board of Revenue and the learned Single Judge, in our view, has been consistent and in right perspective attuned to the avowed purpose of Section 183-B. We refrain from dilating further in this regard in view of the pendency of the suit said to have been instituted by the appellants-writ-petitioners. We also make it clear that the observations made hereinabove are limited to the aspects attendant on the application under section 183-B of the Act alone. Be that as it may, we do not find any merit in the instant appeal which is accordingly dismissed." यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जो बिन्दु विचारण न्यायालय के समक्ष उठाने होते हैं, वे द्वितीय अपील के स्तर पर नहीं उठाये जा सकते। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश उनकी क्षेत्राधिकारिता में होकर विधिसम्मत है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 230 मूलतः इस प्रकार है– **"230- Power of the Board to call for cases-** The Board may call for the record of any cases decided by any subordinate revenue court in which no appeal lies either to the Board or to a civil court under section 239 and if such court appears-	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/4076/2004/पाली** **मूर्ति मंदिर अन्नपूर्णा हनुमान बनाम सोनी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	(a) to have exercised jurisdictions not vested in it by law:or (b) to have failed to exercise jurisdictions so vested :or (c) to have acted in the exercise of its jurisdictions illegally or with material irregularity. Board may pass such orders in the cases as it thinks fit." उक्त प्रावधानों के मध्यनजर अपीलीय न्यायालय के आदेश में हमें कोई तथ्यात्मक या क्षेत्राधिकारिता संबंधी कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश उनकी क्षेत्राधिकारिता में पारित आदेश है। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश में निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना विधिसम्मत नहीं होने से यह निगरानी खारिज योग्य है। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों के तथ्य हस्तगत प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने से यहां सहायक नहीं है। इसलिए निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। 8– अतः उक्त विवेचन के फलस्वरूप यह निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर) सदस्य	